(4)

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

2019
00006

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/03 तारीख रज्जू 14.01.2019

01– मु० आशा पुत्री मंगतूराम उम्र करीब 30 साल
02– मु० ललता देवी पुत्री मंगतूराम उम्र करीब 28 साल
03– मु० कमला देवी बेवा मंगतूराम उम्र करीब 58 साल
जातियान माली निवासीयान ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर **–प्रार्थीगण**

बनाम

01– शिम्भू पुत्र पून्या उम्र 65 साल
02– कान्या पुत्र पून्या उम्र 63 साल
03– मु० बच्ची पुत्री पून्या उम्र 61 साल
04– मु० लाली पुत्री पून्या उम्र 55 साल
जातियान माली निवासीयान ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर
05– मदन लाल पुत्र गंगाधर पुत्र जीवणा उम्र करीब 37 साल ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर **–अप्रार्थीगण**

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांकः 12.06.2019

वादी द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया है। वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 2/3 दिनांक 14.01.2019 पेश किया है।

प्रार्थीगण ने ये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किये है। जिसमें प्रार्थी ने अंकित किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। विवादित आराजी में आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 में तरतीब प्रतिवादी नम्बर 5 के दादा जीवणा पुत्र भोमा माली का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 7 के पिता जीवणा का 1/6 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 8 मांगेलाल पुत्र कजोडा माली का 5/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 9 सोहन लाल पुत्र आनन्दी लाल अहीर का 1/8 हिस्सा मृतक पून्या पुत्र भोमा माली जो वादीगण नम्बर 1 व 2 के दादा व वादी नम्बर 3 के ससुर व असल प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगा० 4 का पिता था का 7/24 हिस्सा था। खसरा नम्बर 206

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० में तथा तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 8 मांगेलाल पुत्र कजोडा का 1/3 हिस्सा व वादी नम्बर 1 व 2 के दादा व वादनी नम्बर 3 के ससुर व असल प्रतिवादी नम्बर 1 लगा० 4 के पिता पून्या पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 5 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 के पिता जीवणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा था। पून्या पुत्र भोमा माली बिचपुरी का स्वर्गवास आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। उसके तीन पुत्र व दो पुत्री असल प्रतिवादी नम्बर 1 शिम्भू असल प्रतिवादी नम्बर 2 कान्या, असल प्रतिवादी नम्बर 3 मु० बच्ची, असल प्रतिवादी नम्बर 4 लाली व मंगतू राम जो वादी नम्बर 1 व 2 के पिता व वादनी नम्बर 3 के पति थे। जिसकी मृत्यु लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण व असल प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगा० 4 पून्या पुत्र भोमा माली निवासी बिचपुरी के वारिस काबिज जायदाद है। आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० में 7/24 भाग व 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी के 1/3 भाग पर वादी नम्बर 1 लगा० 2 के दादा वादनी नम्बर 3 के ससुर व असल प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगा० 4 के पिता पून्या पुत्र भोमा का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इसलिए वादीगण पून्या पुत्र भोमा के मृतक पुत्र मंगतू राम पुत्र पून्या के वारिसान पुत्री व बेवा होने के कारण ओर वारिस काबिज

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

जायदाद होने के कारण मृतक पून्या के जगह अपना नाम खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है। असल प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हिस्से की आराजी में काश्त करने में रूकावट व मजाहमत पैदा करते है। जिस कारण सामलात में काश्त करना मुश्किल हो गया है। चूँकि वादीगण औरतजात है व अबला नारी है इसलिए वादीगण आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है० व 234 रकबा 0.38 है० में से अपना हिस्सा 7/120 भाग व खसरा नम्बर 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है० 209 रकबा 0.06 है० 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी में से अपना 1/15 हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराने के अधिकारी है। असल प्रतिवादीगण वादीगण को आराजी मुतनाजा में वादीगण के हिस्से को जोत बाह करने में व फसल काटने व समेटने में रूकावट मजाहमत करते है व वादग्रस्त आराजी को रहन बय द्वारा मुन्तकित करने की धमकी देते है। यदि प्रतिवादीगण अपनी योजना में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 4 से आराजी मुतनाजा को दुरूस्त कराने के लिए व आराजी मुतनाजा में उनका हिस्सा तकसीम कर देने के लिए दिनांक 11.01.2019 को कहा तो प्रतिवादीगण ने तकसीम करने इन्कार कर दिया ओर धमकी दी तुम्हे काश्त नही करने देंगे व वाद ग्रस्त आराजी को रहन बय द्वारा मुन्तकिल करेंगे। प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

8

दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलत व अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने व कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा न करने व अपने हिस्से की आराजी को किसी दीगर शक्स को रहन बय हिबे द्वारा मुन्तकिल न करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 14.01.2019 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहम ना करने व वादीगण के हिस्से की आराजी को किसी दीगर शक्स को रहन बय हिबे द्वारा मुन्तकिल ना करने हेतु आगामी तारीख तक पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा० 4 व अप्रार्थी संख्या 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना जवाब पेश किया।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(9)

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा० 4 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि आराजी ग्राम बिचपुरी में स्थित है जिसे विवादित होना गलत अंकित किया है, आगे निवेदन किया है कि इसी अमर का एक वाद वअनुवान श्रीमति सुनीता वगै० वादीगण बनाम शिम्भू वगै० प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान के यहां दावा तकसीम आराजी इश्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई का दायर किया था जिनमें अन्य खसरा नम्बरान पून्या पुत्र भोमा जाति माली के अंकित किये है व मौजूदा वाद में पक्षकारान के मध्य वादीगण ने अदालत श्रीमान में पून्य पुत्र भोमा माली की आराजी के बाबत पेश किया है जो दावा तकसीम आराजी इस्तकरारहक हुक्म ईम्तनाई का है। इस दावे में पून्या की आराजी के खसरा नम्बर दूसरे अंकित किये है जबकि तकसीम वाले दावे में समस्त खसरा नम्बर पून्या पुत्र भोमा के नाम दर्ज होने चाहिए थे लेकिन वादीगण ने अपने पूर्व वाले वाद में पून्या के समस्त खसरा नम्बरान दर्ज नही किये है। पूर्व वाले वाद में सुनीता देवी वादनी जो वादीगण संख्या 2 व 3 की बहिन व वादी संख्या 4 की पुत्री है जिस सुनीता देवी का स्वर्गवास हो गया है। जिससे मौजूदा वाद वादीगण की ओर से बअनुवान आशा देवी बनाम शिम्भू दायर किया गया है। जिससे मौजूदा दावा मियाद बाहर पेश किया है। पून्या के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मुतनाजा पर हम प्रतिवादीगण नेक नियती से अरसे दराज से काबिज दाखिल है। चूँकि हम प्रतिवादीगण के भाई मंगतूराम का स्वर्गवास लगभग 30 वर्ष पूर्व हो गया था। वादनी संख्या

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(10)

3 व वादनी संख्या 1 व 2 को अपने साथ वादनी पीहर ले गई व मंगतूराम की मृत्यु के बाद वादनी संख्या 3 ने किसी दीगर शक्स के साथ घरवासा कर लिया। इस कारण वादीगण उक्त आराजी पर काबिज दाखिल नही है। पूर्व वाले वादीगण सुनीता बनाम शिम्भू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में दिनांक 27.01.2007 को वाद वादीगण गलत तरीके पर डिक्री किया है जिस आज्ञा व डिक्री के खिलाफ हम प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां बअनुवान शिम्भू वगै० बनाम आशा वगै० अपील की गई। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 21.07.2008 को, उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 27.01.2007 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। पून्याराम का स्वर्गवास अरसा करीब 15 साल हुए उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है वादीगण आराजी मुतनाजा से गैर वास्ता शक्स है। वादीगण मृतक पून्याराम के वारिसान नही है ना ही वादग्रस्त आराजी में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। वादी संख्या 3 जब अपने पीहर अपने बच्चों को लेकर चली गई तो वादी संख्या 3 का तथा वादी संख्या 1 एवं 2 का आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा होने का सवाल ही नही है। वादनी संख्या 3 अपने दूसरे पति के साथ निवास करती है व वादनी संख्या 1 व 2 अपने ससुराल रहती है इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कोई कब्जा नही है एवं वादनी वादग्रस्त आराजी को तकसीम कराने की अधिकारी नही है। जब वादनीगण का

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

11

कोई कब्जा ही नही है तो आराजी मुतनाजा में रूकावट व मजाहमत करने का सवाल ही पैदा नही होता। दिनांक 11.01.2019 को वादनी एवं प्रतिवादीगण की कोई वार्तालाप नही हुई। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति वादीगण के पक्ष में ना होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादीगण ने वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है एवं वादीगण/प्रार्थीगण को पून्या का वारिस ना होना बताया है। जब वादनी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई ओर वहां जाकर घरवासा कर लिया इस कारण वादीगण का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज करने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि वादीगण ने गलत तरीके से आराजी को विवादित बताया है। आरजी विवादित नही है बल्कि मिन प्रतिवादी के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी मुतनाजा तन्हा धन्ना पुत्र भोमा माली के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस धन्ना ने अपने जीवनकाल में मिन प्रतिवादी के पिता गंगाधर को गोद ले लिया था व मिन प्रतिवादी के पिता धन्ना की चल अचल सम्पत्ति पर धन्ना के साथ काबिज दाखिल था। धन्ना के मरने पर उसकी पगडी मिन वादी के पिता गंगाधर के बंधी थी। गंगाधर ने ही धन्ना मृतक का कुल अंत्येष्टि क्रियाकर्म किया है व इंतकाल नम्बर 63 आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में नम्बर 7 के खाने में धन्ना पुत्र भोमा माली साकिन देह खातेदार काश्त गंगाधर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

पिता खुद अंकित है। इससे साफ जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी का तन्हा धन्ना काबिज खातेदार काश्तकार था। लेकिन कजोड, पून्या, जीवणा ने गलत तरीके पर राजस्व कर्मचारियान से बेजा मेल मिलाकर अपने नाम इंतकाल नम्बर 63 दर्ज करा लिया। जिसका इल्म मिन प्रतिवादी के पिता को होने पर मिन प्रतिवादी के पिता गंगाधर ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के यहां प्रस्तुत की जो अपील मियाद बाहर होने के कारण 18.02.1995 को खारिज कर दी गई। जिस हुक्म के खिलाफ प्रतिवादी के पिता गंगाधर ने अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां दायर की। जिसे आदेश दिनांक 16.11.1995 के तहत निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। कालान्तर में अतिरिक्त कलक्टर प्रथम को निर्णय हेतु प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 15.11.1999 द्वारा खारिज कर दी। जिसकी दूसरी अपील पेश की व मिन अपीलान्ट ने गोदनामा, शपथपत्र, राशनकार्ड पेश किया व कान्हाराम पुत्र पून्या, मांगेलाल पुत्र कजोड एवं ग्रामवासी मोहनलाल वगै० के हलफनामे पेश किये। जिससे रिमाण्ड प्रकरण के संदर्भ में इंतकाल नम्बर 63 द्वारा खातेदार धन्ना पुत्र भोमा की आराजी का नामान्तकरण बहक कजोड, पून्या व जीवन को निरस्त कर गंगाधर दत्तक पुत्र धन्ना जाति माली निवासी बिचपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.01.2012 को तहसीलदार भू अभिलेख अलवर ने जारी किये। साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 206, 207, 208,

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(13)

209 व 210 कुल किता 5 रकबा 1.20 है० अंकित किया। आराजी मुतनाजा सालिम पर मिन प्रतिवादी नेक नियती से काबिज दाखिल है जिसने रिहायशी मकानात बना रखे है। जिसमें प्रतिवादी का परिवार निवास करता है। आराजी मुतनाजा से असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 व प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 9 का कोई ताल्लुक, वास्ता, संबंध किसी किस्म का ना कभी था ना कभी है। विवादित आराजी में चाह बना हुआ है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी मिन प्रतिवादी के दादा धन्ना के नाम से जारी है। जिस कनेक्शन का उपयोग प्रतिवादी संख्या 5 करता है। बिजली बिल की अदायगी भी मिन प्रतिवादी करता चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 4 व प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 9 ने गलत तरीके पर उक्त इंतकाल नम्बर 63 के तहत कागजात माल में जीवणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा पून्या पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा व मांगे लाल पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा कागजात माल में करा लिया। जबकि उक्त इंतकाल संख्या 63 दिनांक 24.01.2012 को तहसीलदार अलवर द्वारा निरस्त कर दिया। मिन अपीलान्ट के पिता गंगाधर के नाम इंतकाल दर्ज आदेश पारित किये लेकिन मिन प्रतिवादी के पिता ग्रामीण व अनपढ होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 24.01.2012 की पालना नही करा सके। आराजी मुतनाजा पर तन्हा मिन प्रतिवादी काबिज दाखिल है। वादीगण व असल प्रतिवादी का आराजी मुतनाजा पर शामलात में काबिज दाखिल नही है बल्कि तन्हा मिन प्रतिवादी आराजी मुतनाजा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

15

पर नेक नियती से काबिज दाखिल है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में है एवं प्रार्थना पत्र वादीगण मय खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की है।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन कर वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.01.2019 को ताफैसला वाद (Absolute) कन्फर्म किये जाने की प्रार्थना की।

वकील अप्रार्थीगण 1 लगा० 4 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है जिसे विवादित होना गलत अंकित किया है, आगे निवेदन किया है कि इसी अमर का एक वाद बअनुवान श्रीमति सुनीता वगै० वादीगण बनाम शिम्भू वगै० प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(15)

न्यायालय श्रीमान के यहां दावा तकसीम आराजी इश्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई का दायर किया था जिनमें अन्य खसरा नम्बरान पून्या पुत्र भोमा जाति माली के अंकित किये है व मौजूदा वाद में पक्षकारान के मध्य वादीगण ने अदालत श्रीमान में पून्य पुत्र भोमा माली की आराजी के बाबत पेश किया है जो दावा तकसीम आराजी इस्तकरारहक हुक्म ईम्तनाई का है। इस दावे में पून्या की आराजी के खसरा नम्बर दूसरे अंकित किये है जबकि तकसीम वाले दावे में समस्त खसरा नम्बर पून्या पुत्र भोमा के नाम दर्ज होने चाहिए थे लेकिन वादीगण ने अपने पूर्व वाले वाद में पून्या के समस्त खसरा नम्बरान दर्ज नही किये है। पूर्व वाले वाद में सुनीता देवी वादनी जो वादीगण संख्या 2 व 3 की बहिन व वादी संख्या 4 की पुत्री है जिस सुनीता देवी का स्वर्गवास हो गया है। जिससे मौजूदा वाद वादीगण की ओर से बअनुवान आशा देवी बनाम शिम्भू दायर किया गया है। जिससे मौजूदा दावा मियाद बाहर पेश किया है। पून्या के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मुतनाजा पर हम प्रतिवादीगण नेक नियती से अरसे दराज से काबिज दाखिल है। चूँकि हम प्रतिवादीगण के भाई मंगतूराम का स्वर्गवास लगभग 30 वर्ष पूर्व हो गया था। वादनी संख्या 3 व वादनी संख्या 1 व 2 को अपने साथ वादनी पीहर ले गई व मंगतूराम की मृत्यु के बाद वादनी संख्या 3 ने किसी दीगर शक्स के साथ घरवासा कर लिया। इस कारण वादीगण उक्त आराजी पर काबिज दाखिल नही है। पूर्व वाले वादीगण सुनीता बनाम शिम्भू न्यायालय

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

16

उपखण्ड अधिकारी अलवर में दिनांक 27.01.2007 को वाद वादीगण गलत तरीके पर डिक्री किया है जिस आज्ञा व डिक्री के खिलाफ हम प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां बअनुवान शिम्भू वगै० बनाम आशा वगै० अपील की गई। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 21.07.2008 को, उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 27.01.2007 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। पून्याराम का स्वर्गवास अरसा करीब 15 साल हुए उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है वादीगण आराजी मुतनाजा से गैर वास्ता शक्स है। वादीगण मृतक पून्याराम के वारिसान नही है ना ही वादग्रस्त आराजी में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण जब अपने पीहर अपने बच्चों को लेकर चली गई तो वादीगण का आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा होने का सवाल ही नही है। वादनी संख्या 3 अपने दूसरे पति के साथ निवास करती है व वादनी संख्या 1 व 2 अपने ससुराल रहती है इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कोई कब्जा नही है एवं वादनी वादग्रस्त आराजी को तकसीम कराने की अधिकारी नही है। जब वादनीगण का कोई कब्जा ही नही है तो आराजी मुतनाजा में रूकावट व मजाहमत करने का सवाल ही पैदा नही होता। दिनांक 11.01.2019 को वादनी एवं प्रतिवादीगण की कोई वार्तालाप नही हुई।

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादीगण ने गलत तरीके से

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(17)

आराजी को विवादित बताया है। आरजी विवादित नही है बल्कि मिन प्रतिवादी के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी मुतनाजा तन्हा धन्ना पुत्र भोमा माली के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस धन्ना ने अपने जीवनकाल में मिन प्रतिवादी के पिता गंगाधर को गोद ले लिया था व मिन प्रतिवादी के पिता धन्ना की चल अचल सम्पत्ति पर धन्ना के साथ काबिज दाखिल था। धन्ना के मरने पर उसकी पगडी मिन वादी के पिता गंगाधर के बंधी थी। गंगाधर ने ही धन्ना मृतक का कुल अंत्येष्टि क्रियाकर्म किया है व इंतकाल नम्बर 63 आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में नम्बर 7 के खाने में धन्ना पुत्र भोमा माली साकिन देह खातेदार काश्त गंगाधर पिता खुद अंकित है। इससे साफ जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी का तन्हा धन्ना काबिज खातेदार काश्तकार था। लेकिन कजोड, पून्या, जीवणा ने गलत तरीके पर राजस्व रिकार्ड से बेजा मेल मिलाकर अपने नाम इंतकाल नम्बर 63 दर्ज करा लिया। जिसका इल्म मिन प्रतिवादी के पिता को होने पर मिन प्रतिवादी के पिता गंगाधर ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के यहां प्रस्तुत की जो अपील मियाद बाहर होने के कारण 18.02.1995 को खारिज कर दी गई। जिस हुक्म के खिलाफ प्रतिवादी के पिता गंगाधर ने अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां दायर की। जिसे आदेश दिनांक 16.11.1995 के तहत निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। कालान्तर में अतिरिक्त

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

18

कलक्टर प्रथम को निर्णय हेतु प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 15.11.1999 द्वारा खारिज कर दी। जिसकी दूसरी अपील पेश की व मिन अपीलान्ट ने गोदनामा, शपथपत्र, राशनकार्ड पेश किया व कान्हाराम पुत्र पून्या, मांगेलाल पुत्र कजोड एवं ग्रामवासी मोहनलाल वगै० के हलफनामे पेश किये। जिससे रिमाण्ड प्रकरण के संदर्भ में इंतकाल नम्बर 63 द्वारा खातेदार धन्ना पुत्र भोमा की आराजी का नामान्तकरण बहक कजोड, पून्या व जीवन को निरस्त कर गंगाधर दत्तक पुत्र धन्ना जाति माली निवासी बिचपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.01.2012 को तहसीलदार भू अभिलेख अलवर ने जारी किये। साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 206, 207, 208, 209 व 210 कुल किता 5 रकबा 1.20 है० अंकित किया। आराजी मुतनाजा सालिम पर मिन प्रतिवादी नेक नियती से काबिज दाखिल है जिसने रिहायशी मकानात बना रखे है। जिसमें प्रतिवादी का परिवार निवास करता है। आराजी मुतनाजा से असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 व प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 9 का कोई ताल्लुक, वास्ता, संबंध किसी किस्म का ना कभी था ना कभी है। विवादित आराजी में चाह बना हुआ है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी मिन प्रतिवादी के दादा धन्ना के नाम से जारी है। जिस कनेक्शन का उपयोग प्रतिवादी करता है। बिजली बिल की अदायगी भी मिन प्रतिवादी करता चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 4 व प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 9 ने गलत तरीके पर उक्त इंतकाल नम्बर 63 के

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

तहत कागजात माल में जीवणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा पून्या पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा व मांगे लाल पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा कागजात माल में करा लिया। जबकि उक्त इंतकाल संख्या 63 दिनांक 24.01.2012 को तहसीलदार अलवर द्वारा निरस्त कर दिया। मिन अपीलान्ट के पिता गंगाधर के नाम इंतकाल दर्ज आदेश पारित किये लेकिन मिन प्रतिवादी के पिता ग्रामीण व अनपढ होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 24.01.2012 की पालना नही करा सके। आराजी मुतनाजा पर तन्हा मिन प्रतिवादी काबिज दाखिल है। वादीगण व असल प्रतिवादी का आराजी मुतनाजा पर शामलात में काबिज दाखिल नही है बल्कि तन्हा मिन प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर नेक नियती से काबिज दाखिल है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में है एवं प्रार्थना पत्र वादीगण मय खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 से 2075 पेश की है। इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 5 ने बिजली का बिल, जो धन्ना भोमा माली के नाम से है एवं सत्यप्रति निर्णय दिनांक 24.1.2012 तहसीलदार भू अभिलेख, अलवर व इंतकाल संख्या 63 निर्णय दिनांक 8.02.1983 व फोटोकापी निर्णय 11.01.2019 प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू अभिलेख, मालाखेडा व मौका रिपोर्ट दिनांक 02.11.2018 पटवारी हलका मौहब्बतपुर पेश की।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

(20)

प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर अपनी अपनी बहस में अपने अपने पक्ष में प्रार्थना पत्र फैसल करने का निवेदन किया है।

01–प्रथम दृष्टया केस : प्रार्थी के वकील ने वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 4 की पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण के साथ सम्मलित रूप से है। जिसको प्रार्थिया तकसीम कराने की अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 के पिता पून्या राम पुत्र भोमा का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इसलिए वादीगण पून्या पुत्र भोमा के मृतक पुत्र मंगतूराम पुत्र पून्या के वारिसान पुत्री व बेवा होने के कारण ओर वारिस काबिज जायदाद होने के कारण मृतक पून्या की जगह अपना नाम खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त करने में रूकावट मजाहमत पैदा करते है इस कारण शामलात में काश्त करना मुश्किल हो गया है इस कारण वादग्रस्त आराजी को तकसीम कराकर अपना खाता व लगान कायम कराना चाहते है एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी वादीगण को दिलाई जावे। प्रतिवादीगण आये दिन उक्त वाद ग्रस्त आराजी को बेचान करने की

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

21

धमकी देते है जिस कारण प्रतिवादीगण को वादीगण पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 लगा० 4 के वकील ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय को निवेदन किया कि मंगतूराम की मृत्यु के पश्चात मंगतूराम की बेवा कमला देवी अपने बच्चों के साथ अपने पीहर रहने लग गई वहां उसने किसी दीगर व्यक्ति के साथ घरवासा कर लिया। वादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। मंगतूराम की पुत्री सुनीता देवी ने एक वाद न्यायालय में तकसीम आराजी व इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई का दायर किया था। इस दावे की आराजी खसरा नम्बरान दूसरे अंकित किये थे। लेकिन वादनी ने पूर्व वाले समस्त नम्बरान का दावा पेश नही किया। पूर्व वाले वाद में सुनीता देवी वादनी जो वादीगण 2 व 3 की बहन व वादी संख्या 4 की पुत्री है। सुनीता देवी का स्वर्गवास हो गया है। दावा वादनी द्वारा मियाद बाहर पेश किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में दिनांक 27.01.2007 को वाद वादीगण गलत तरीके से डिक्री किया। जिस निर्णय व डिक्री के खिलाफ हम प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां बअनुवान शिम्भू वगै० अपीलांट बनाम आशा वगै० रेस्पोडेन्ट अपील दायर की। अपील दिनांक 21.07.2008 को स्वीकार की। उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश व डिक्री दिनांक 27.01.2007 निरस्त की गई। आराजी मुतनाजा पर अपीलान्ट का कब्जा अरसे दराज से बिला रोकटोक के अपने पिता पून्या के साथ व पून्या का स्वर्गवास

सहायक कलेक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(22)

अरसा करीब 15 साल हुए उसके बाद तन्हा हम अपीलान्ट का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नेक नियती से चला आ रहा है। वादनी कमला देवी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई थी तो वादनी का कब्जा उक्त वादग्रस्त आराजी पर रहा ही नही वादीन कमला देवी अपने पति के साथ निवास कर रही है एवं आशा व ललीता देवी की शादी हो गई है वो अपने ससुराल में निवास कर रही है तो फिर वादीगण का शामलात में कब्जा किस प्रकार से है। प्रथम दृष्टया केस प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 के पक्ष में साबित होता है। प्रतिवादी संख्या 5 के वकील ने अपनी बहस में जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी मुतनाजा तन्हा धन्ना पुत्र भोमा के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस धन्ना ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी के पिता गंगाधर को गोद ले लिया था। प्रतिवादी के पिता धन्ना की चल व अचल सम्पत्ति पर धन्ना के साथ काबिज दाखिल था। धन्ना के मरने के बाद उसकी पगडी मिन प्रतिवादी के पिता गंगाधर के बंधी थी गंगाधर ने ही धन्ना मृतक का कुल अंत्येष्टी क्रियाकर्म किये थे। इंतकाल नम्बर 63 आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में इंतकाल नम्बर 7 के खाने में धन्ना पुत्र भोमा माली साकिन देह खातेदार काश्त गंगाधर पिता खुद अंकित है। प्रतिवादीगण कजोड, पून्या व जीवणा ने गलत प्रकार से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इंलकाल संख्या 63 अपने नाम दर्ज करा लिया। जिसका ईल्म गंगाधर मिन प्रतिवादी के पिता को होने पर गंगाधर ने उक्त

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(23)

इंतकाल की अपील उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पेश की जो दिनांक 18.02.1995 को न्यायालय द्वारा खारिज की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध गंगाधर ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील पेश की। जहां से आदेश दिनांक 16.11.1995 के तहत निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। कालान्तर में अतिरिक्त कलक्टर प्रथम को निर्णय हेतु प्राप्त करने पर आदेश दिनांक 15.11.1999 द्वारा खारिज कर दी। जिसकी दूसरी अपील पेश की। अपीलान्ट ने गोदनामा, शपथ पत्र, हलफनामा, कान्हाराम, मांगी लाल, मोंहन लाल पेश किये। जिससे रिमाण्ड प्रकरण के संदर्भ में इंतकाल संख्या 63 द्वारा खातेदार धन्ना पुत्र भोमा की आराजी का नामन्तकरण बहक कजोड, पून्या व जीवणा को निरस्त कर गंगाधर दत्तक पुत्र धन्ना जाति माली निवासी बिचपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.01.2012 को तहसीलदार भू अभिलेख अलवर ने जारी किये। साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 206, 207, 208, 209 व 210 कुल किता 5 रकबा 1.20 है० अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 206, 207, 208, 209 व 210 कुल किता 5 रकबा 1.20 है० पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है एवं उक्त आराजी में रिहायशी मकान बनाकर निवास कर रहा है। उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 व 6 लगा० 9 का कोई संबंध नही है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी में चाह बनाया हुआ है जिसमें विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

24

इंतकाल संख्या 63 दिनांक 24.01.2012 को तहसीलदार अलवर द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी के पिता ग्रामीण व अनपढ होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 24.01.2012 की पालना नही करा सके। आराजी खसरा नम्बर 233 व 234 कुल किता रकबा 0.94 है० में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 4 का सम्मलित रूप से कब्जा प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 के पक्ष में साबित प्रतीत होता है। वादीगण के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.01.2019 खारिज किये जाने की प्रार्थना की। प्रथम दृष्टया केस आराजी खसरा नम्बर 233 व 234 बाबत प्रार्थनी व अप्रार्थी 1 लगा० 4 के पक्ष में पाया जाना प्रतीत होता है।

02– सुविधा का सन्तुलन : प्रार्थनी आराजी हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा को अपनी पैतृक आराजी बताकर आयी है एवं जिस पर प्रार्थनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थनी उक्त आराजी को तकसीम कराकर अलग से खाता कायम कर अलग लगान कायम कराना चाहती है। जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 व 6 लगा० 9 को पाबन्द कराया आवश्यक है क्योकि अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि उक्त वादग्रस्त आराजी को हम बेचान करेंगे व तुम्हें कब्जा नही करने देंगे।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

25

प्रार्थी के वकील ने न्यायालय को निवेदन किया कि दिनांक 14.1.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 के वकील ने न्यायालय को निवेदन किया कि मंगतूराम पुत्र भोमा की मृत्यु के बाद वादनी संख्या 3 कमला देवी अपने बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई थी जहां उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घरवासा कर लिया जिसके साथ निवास कर रही है। वादनी आशा व ललता की शादी हो चुकी है जो अपने ससुराल में निवास कर रही है। वादनियों का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है। अप्रार्थी संख्या 5 के वकील ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी से वादनी संख्या 1 लगा० 3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 का कोई सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजी धन्ना पुत्र भोमा माली के कब्जे काश्त की आराजी थी। धन्ना के कोई सन्तान नही थी धन्ना ने अपने जीवन काल में गंगाधर को गोद ले लिया था। मिन प्रतिवादी संख्या 5 का पिता धन्ना की चल अचल सम्पत्ति पर धन्ना के साथ काबिज दाखिल था। धन्ना की मृत्यु के बाद धन्ना की पगडी गंगाधर के बंधी थी। गंगाधर ने ही धन्ना के अन्त्येष्टि व क्रियाकर्म किये थे। इंतकाल संख्या 63 आराजी खसरा नं० 34 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में इंतकाल संख्या 7 के खाने में धन्ना पुत्र भोमा माली साकिन देह खातेदार काश्त गंगाधर पि० खुद अंकित है। उक्त वादग्रस्त आराजी धन्ना के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी लेकिन कजोड, पून्या व जीवणा ने गलत तरीके से राजस्व

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

र्यों से मिलकर इंतकाल संख्या 63 अपने नाम दर्ज या। जिसकी जानकारी होने पर प्रथम अपील उपखण्ड री अलवर के यहां पेश की जो मियाद बाहर होने के दिनांक 18.2.1995 को खारिज हो गई। उक्त आदेश रूद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लय में की गई, जिसे रिमाण्ड किया गया। कालान्तर में क्त कलक्टर प्रथम द्वारा अपील खारिज की गई। ी दूसरी अपील में अपीलान्ट द्वारा गोदनामा, राशन व शपथ पत्र पेश किये जिसे तहसीलदार अलवर को ड किया गया। तहसीलदार अलवर ने दिनांक 24.1.2012 इंतकाल संख्या 63 को खारिज कर वादग्रस्त आराजी र दत्तक पुत्र धन्ना माली निवासी बिचपुरी के नाम दर्ज के आदेश दिये एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त आराजी ुआं बनाया हुआ है एवं रिहाईश के मकानात बनाये हुए उक्त आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 0.14 है०, 207 ा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा प्रतीत होता है एवं आराजी रा नम्बर 233 व 234 पर वादनी व प्रतिवादी संख्या 1 ा० 4 का कब्जा प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी प्रार्थी संख्य 1 लगा० 4 के पक्ष में आंशिक रूप से प्रतीत ा है।

अपूर्णिय क्षतिः प्रार्थनी आराजी हाल खसरा नम्बर 233 ा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० 206 रकबा 0.14 है०,

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा को पैतृक आराजी बताकर आयी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 व प्रार्थिया एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जो संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थिया अपने हिस्से की आराजी का तकासमा कराकर अलग से खाता कायम कराना चाहती है। जिस कारण दावे के निर्णय तक प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 उक्त आराजी का बेचान ना करे जिस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 5 का कथन है कि उक्त आराजी धन्ना पुत्र भोमा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। धन्ना के कोई भी सुलबी लडका लडकी ना होने के कारण गंगाधर को गोद ले लिया था। धन्ना की चल अचल सम्पति पर धन्ना के साथ गंगाधर काबिज रहकर काश्त करता रहा। धन्ना की मृत्यु के बाद धन्ना की अन्त्येष्टि व क्रियाकर्म भी गंगाधर ने किया। कजोड, पून्या व जीवणा ने गलत तरीके से इंतकाल संख्या 63 राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करा लिया। जानकारी होने पर गंगाधर ने उक्त इंतकाल की प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां पेश की जो मियाद बाहर होने के कारण दिनांक 18.2.1995 को खारिज हो गई। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में की गई, जिसे रिमाण्ड किया गया। कालान्तर में अतिरिक्त कलक्टर प्रथम द्वारा अपील खारिज की गई। जिसकी दूसरी

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

28

अपील में अपीलान्ट द्वारा गोदनामा, राशन कार्ड व शपथ पत्र पेश किये जिसे तहसीलदार अलवर को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार अलवर ने दिनांक 24.1.2012 को इंतकाल संख्या 63 को खारिज कर वादग्रस्त आराजी गंगाधर दत्तक पुत्र धन्ना माली निवासी बिचपुरी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त आराजी में कुआं बनाया हुआ है एवं रिहाईश के मकानात बनाये हुए है। अपूर्णिय क्षति प्रार्थी व अप्रार्थी संख्य 1 लगा० 4 के पक्ष में आंशिक रूप से प्रतीत होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 एवं आदेश 39 नियम 1–2 के बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलत व अपूर्णिय क्षति प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 के पक्ष में आंशिक रूप से पाये जाने पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/3 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.01.19 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा को वैकेट कर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा को ताफैसला वाद (absolute) कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.01.2019 को संशोधित कर आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 0.14 है०, 207 रकबा 0.75 है०, 208 रकबा 0.10 है०, 209 रकबा 0.06 है०, 210 रकबा 0.15 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(21)

को वैकेट किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.56 है०, 234 रकबा 0.38 है० वाके ग्राम बिचपुरी तहसील मालाखेडा को ताफैसला वाद (absolute) कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner